

31/05/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी अस्थित। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में आदेश दिनांक 16/06/24 को पेश हो।

07/06/24

पत्रावली पेश हुई। पीठामीन अधिकारी दौगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल हल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 18/06/24 को पेश हो।

18/06/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उप. विधायी स. 23 की ओर से पूर्व दिनांक 31/05/24 को अधिवक्ता महिपालदान चारंग ने पञ्जालनामा पेश किया तथा जवाब हेतु भवतर दिया गया परन्तु 3 विधायी स. 23 द्वारा क्राय दिनांक 18 जवाब पेश नहीं किया कतः जवाब बंद किया जाता है। दोष विधायी गिनाओ को जवाब हेतु अनुरोध भवतर देन के बावजुद जवाब पेश नहीं किया। कतः जवाब बंद किया जाता है वकील पार्थी ने बहल हेतु निवेदन किया। वकील पार्थी की बहल सुनी गई। बहल पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे उलीट होना है। पार्थी का पार्थीना पत्र स्वीकार करने योग्य है। कतः नैखमबंदी निर्गम अलग से लिखा जातर सामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल वुमार होकर दारिमल 4 फरर ही। संख्या से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 92/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

नवाराम बनाम अमराराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस  
प्रार्थी वकील - श्री करनाराम कड़वासरा

**निर्णय**

दिनांक - 18/06/2024


प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा धुड़ावा के खेत खसरा संख्या 576/574 रकबा 1.6228 हैक्टर, किस्म बा.सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा धुड़ावा के खेत खसरा संख्या 576/574 रकबा 1.6228 हैक्टर, किस्म बा.सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/06/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



  
(विरेन्द्रसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p><b>प्रार्थी</b></p> <p>1. नवाराम पुत्र प्रभुराम जाति कुम्हार, निवासी धुड़ावा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</p>	<p><b>विप्रार्थीगण</b></p> <p>1. अगराराम पुत्र भुगडाराम 2. खेतुदेवी पत्नि भुगडाराम          3. मगुराम पुत्र लालाराम 4. गुणेशाराम पुत्र भोजाराम          5. जगुराम पुत्र लालाराम 6. डायाराम पुत्र भुगडाराम          7. भानाराम पुत्र भोजाराम 8. मगनाराम पुत्र भुगडाराम          9. मघाराम पुत्र भोजाराम 10. रामचंद पुत्र भुगडाराम          11. सोमजी पुत्र बीजाराम 12. हिन्दुराम पुत्र भुगडाराम          13. हीरोदेवी पत्नि भोजाराम जाति भील, निवासी धुड़ावा तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</p>	<p><b>बनाम</b></p> <p>14. अरबाब पुत्र अलफ 15. अलीखां पुत्र कामल          16. इमाम पुत्र अलफ 17. जाम पुत्र कामल          18. जामन पुत्र कामल 19. धणीयाणी पत्नि अलफ          20. सदाम पुत्र अलफ 21. सफीयत पुत्री कामल          22. हयात पुत्र कामल जाति मुसलमान, निवासी धुड़ावा          23. ताजाराम पुत्र प्रभुराम 24. तेजा पुत्र रूपा          25. दुदा पुत्र रूपा 26. देदा पुत्र रूपा 27. पेमा पुत्र रूपा          28. राधादेवी पत्नि पेमाराम 29. सोनीदेवी पत्नि देदाराम जाति कुम्हार, निवासी धुड़ावा, तहसील सेड़वा।          30. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा</p>
--	---	--

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।**

राजस्व आवेदन संख्या 92/2024

दिनांक : 18/06/2024

### आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भू. अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा धुड़ावा के खेत खसरा संख्या 576/574 रकबा 1.6228 हैक्टर, किस्म बा.सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक/भू.अ. 2024/2120-23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी नवाराम पुत्र प्रभुराम
3. विप्रार्थीगण अमराराम पुत्र भुगडाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

(विरेंद्रसिंह भाटी)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 0/c सेड़वा-1 सेड़वा  
 दिनांक 18/06/2024

उपखण्ड अधिकारी  
 सेड़वा  
 (SDO) सेड़वा